अध्याय-XI

मुख्य सिफारिशों का सारांश

विभिन्न अध्यायों में ब्यौरेवार सिफारिशें की गई हैं। प्रत्येक अध्याय में दी गई मुख्य सिफारिशों का सारांश इस प्रकार है:-

	सिफारिश	पैराग्राफ सं:

अध्याय I – प्रस्तावना

1.	आयोग को उपर्युक्त कार्यकलापों को निर्बाध रूप से करने में कठिनाई हो रही क्योंकि आयोग को उपलब्ध कराई गई जनशक्ति और बजट अपर्याप्त है। अनु. जाति और अनु.जनजाति आयुक्त के पहले के 72 पदों को और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के असांविधिक राष्ट्रीय आयोग को 12.3.1992 को समाप्त कर दिया गया था और लम्बे समय पत्राचार करने और उच्च स्तरों पर बैठकें करने के बावजूद अभी तक इन पदों को पुनः प्रवर्तित नहीं किया गया। आयोग ने इन 72 पदों के अतिरिक्त कम्प्यूटर सैल, विधिक सैल, और जन–संपर्क सैल के लिए 15 नए पदों सृजित करने के लिए अनुरोध किया है, आयोग को निर्बाध रूप से कार्य करने के लिए इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। सरकार द्वारा इन पदों की स्वीकृति की जानी है। जहां तक बजट का संबंध है, आयोग, मुख्यालय और राज्य कार्यालयों के आधुनिकीकरण की अपनी योजना को वापस लेने के लिए मजबूर, है क्योंकि सरकार ने इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित निधि स्वीकृत नहीं की है। इसलिए यह आवश्यक है कि सरकार आयोग को अपेक्षित जनशक्ति और बजट उपलब्ध कराए ताकि आयोग अपने कार्यों और सांविधिक दायित्वों को आसानी से पूरा कर सके।	1.15

स्तर की योजनाएं, वार्षिक योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं और भावी योजनाएं तैयार करने और उनका अनुमोदन करने के लिए जिम्मेदार होगा।

8. अभी तक केवल सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिया गया है सुरक्षा बलों, वैज्ञानिक स्थापनाओं, न्यायपालिका आदि की सेवाओं में कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। स्वत्रंता के पचास वर्ष बाद, जबकि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के योग्य उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं, तो इन क्षेत्रों को आरक्षण की सीमा से अलग रखने और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को रोजगार के अवसरों से वंचित रखने का कोई कारण नजर नहीं आता। 2.40

9. सरकार संसद/राज्य विधान मंडल/अन्य सार्वजनिक निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण पर गंभीरता से विचार कर रही है। आयोग का विचार है कि महिलाओं की समानता के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। 2.41

10. स्पष्टतः हमारा अगला कार्य अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की मूलभूत आवश्यकताओं और अपेक्षाओं पर ध्यान देना उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा देना और समाज के अन्य वर्गों के बराबर लाना, उन्हें आर्थिक से सक्षम बनाना और उन्हें मुख्य धारा के साथ जोड़ना है जो कि 50 वर्ष पूर्व संविधान निर्माताओं के कल्पित घोषणा–पत्र में था। ऐसी नीति से न केवल भेदभाव, कुंठा और बढ़ती हुई हिंसा और आपसी संघर्ष पर नियंत्रण होगा बल्कि राष्ट्र निर्माण में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग सक्रिय भागीदार भी होंगे। 2.42

अध्याय III – संवैधानिक सुरक्षण और सुरक्षात्मक उपाय

1. आयोग सिफारिश करता है कि प्रशिक्षण एवं कार्मिक विभाग के तारीख 13.8.97 के कार्यालय ज्ञापन में संशोधन करके सभी स्तरों पर सभी श्रेणी के पदों पर पदोन्नति में आरक्षण दिया जाना चाहिए। 3.26

2. आयोग सिफारिश करता है कि आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के तीन माह के अंदर संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए और की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के छः माह के अंदर संसद के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए। ऐसा अनुच्छेद 338 के खंड में उचित संशोधन करके किया जाए। 3.29

3. हालांकि आयोग को व्यापक जिम्मेदारियॉ सौंपी गई हैं जिसमें अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के आयुक्त और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग के कर्त्तव्य ही शामिल नहीं हैं बल्कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जाति के संबंद्ध सभी प्रमुख नीतियों को तैयार करने में सहयोग देना और परामर्श देना, जैसे मामले भी शामिल हैं। किन्तु आयोग को जो शक्तियॉ दी गई हैं वह इन मुद्दों को प्रभावपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। ये सुझाव संस्तुति प्रकृति के हैं, बाध्यकारी नहीं है। आयोग का मानना है कि इस पूरे मुद्दे की पुनः जांच करने की आवश्यकता है और संविधान के तहत आयोग को अधिक प्रभावपूर्ण शक्तियां दिए जाने की आवश्यकताहै। 3.30

4. राज्य सरकार मुख्यतः राज्य में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, राज्य सरकार को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शांति और सद्भावना बनाए रखने के लिए और विशेषतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर अपराध और अत्याचार को कम करने के लिए पर्याप्त उपाय करने चाहिए। दोषी को दण्ड देने के लिए सबसे प्रभावी तरीका शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई करना, समय पर पूरी जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करना है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के तुरंत बाद शिकायतों की जांच की जाए। पुलिस के स्तर पर जांच किए गए मामलों की नियमित मानीटरिंग एवं परीक्षण किए जाने की आवश्यकता है ताकि सही मामलों को बंद न किया जा सके। 3.35

5. वन नीति के संबध में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इस नीति के दिशा निर्देशों का सही भावना से अनुपालन किया जाए ताकि जनजातीय लोगों को कम 3.39

से कम कठिनाइयों का सामना करना पडे। इसलिए इनको संस्थागत तरीके से मानीटर करना एवं इनका कार्यान्वयन और समीक्षा करना आवश्यक है।

6. एक ऐसे तंत्र को गठित करने की जरूरत है जो भूमि के हस्तांरण मामलों का पता लगाए और कानूनी कार्रवाई करे। 3.40

7. कानूनी प्रक्रिया और भूमि के हस्तांतरण संबधी कानून को सरल बनाने की जरूरत है और समय एवं धन संबंधी प्रक्रियाओं को कम करने एवं जहां भी संभव हो पूरी कानूनी सहायता प्रदान करने की जरूरत है। 3.40

8. भूमि रिकार्डों का सर्वेक्षण, निपटारा एवं उन्हें अधतन करने की कार्रवाई शीघ्र की जाए और भू–स्वामी के रूप में मालिकाना हक संबंधी पक्के सबूत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के हाथों में सौंपे जाएं। 3.40

9. भूमि हस्तांरण के पंजीकरण को संबंधित अधिनियम या विनियम के अंतर्गत अनापत्ति मिलने पर ही किया जाना चाहिए। 3.40

10. ऐसे गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों जिन्होंने भूमि से बेदखली के आदेश मिलने पर भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जमीन पर अपना कब्जा जारी रखा है उनके लिए कड़े दण्ड के प्रावधान की जरूरत है। 3.40

11. केरल अनुसूचित जनजाति (भूमि हस्तांतरण प्रतिबंध एवं अन्य हस्तान्तरित भूमि का प्रत्यावर्तन) अधिनियम 1975 के प्रस्तावित संशोधन के तहत जिन लोगों ने एक हैक्टेयर से अधिक की भूमि अर्जित की है उन्हें एक विकल्प दिया जा रहा है कि वे सरकार द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान करके बेदखली से बच सकते हैं। प्रभावित जनजातियों को उसके अनुपात में अन्य जमीन एवं वित्तीय सहायता से क्षतिपूर्ति की जाए। आयोग का यह दृढ़ विश्वास है कि ऐसे संशोधन से वही प्रयोजन और उद्देश्य शिथिल होंगे जिसके लिए यह अधिनियम बनाया गया था। जनजातियां, अपनी जमीन खो देंगी और वे विस्थापित हो जाएंगे और पुनः स्थापना की प्रक्रिया में इससे भी अधिक कठिनाईयां उठानी पड़ेंगी। दूसरी ओर अनुसूचित जनजाति की भूमि को वापस लेने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए और उनलोगों को बराबर की जमीन एवं क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। 3.43

12. जनजातीय क्षेत्रों में आबकारी नीति के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। 3.45

(1) मौजूदा दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

(2) अनुसूचित क्षेत्रों में आबकारी ठेकेदारों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

(3) अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में यदि गांव की अधिकांश जनसंख्या व्यापारिक शराब की दुकानों का विरोध करती हो तो ऐसी दुकानें स्थापित नहीं की जानी चाहिए।

13. यद्यपि, कई राज्यों ने धन उधार देने के कार्य के लिए कानून बनाए हैं और ऋण सहायता भी दी है फिर भी इन सुरक्षात्मक कानूनों को लागू करने में भी कमी रही है। इसके अतिरिक्त संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग भी साहूकारों द्वारा किए जा रहे शोषण को रोकने के लिए नहीं किया गया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की ऋणग्रस्तता की स्थिति के उन्मूलन के लिए निम्नलिखित बातें संगत होंगी। .40

(।) उधार देने एवं ऋण सहायता संबधी मौजूदा अधिनियमों विनियमों को दृढता से लागू करना।

(।।) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि के तहत ऋण/वित्तीय प्रणाली में उपभोग आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस प्रकार समाज के जिस कमजोर वर्ग से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लोग जुड़े हैं उनकी सामाजिक एवं आर्थिक जरूरतों पर ध्यान रखने के लिए उत्पादक प्रयोजनों के लिए दिए जाने वाले ऋणों में उपभोग ऋण क्रेडिट को शामिल किया जाना चाहिए।

14. संविधिक तौर पर तय की गई न्यूनतम मजदूरी में मौजूदा असमानता को भी दूर किया जाना चाहिए। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में इसके लिए भी प्रावधान होना चाहिए कि सभी आर्थिक गतिविधियों में सामान्य श्रमिक की दैनिक मजदूरी के सिद्वान्तों का अनुकरण करते हुए इस तरह निर्धारित किया जाना चाहिए कि परिवार के एक सदस्य की आय पूरे परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त हो। 3.49

15. कार्य घंटों में किसी कटौती के अनुपात में दैनिक मजदूरी में कटौती पर केवल उन स्थितियों को छोड़कर प्रतिबंध होना चाहिए जिनमें कार्य लगातार चलने वाला न हो और कार्य इतना कम हो कि केवल एक आदमी के लिए भी पूरे दिन का काम न हो। 3.50

16. समुदायों को सूची में शामिल करने/बाहर निकालने का प्रश्न काफी संवेदनशील और जटिल है क्योंकि सूचीकृत समुदायों के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लोगों को विभिन विकास कार्यक्रमों के तहत लाभ के साथ–साथ आरक्षण एवं सुरक्षण भी दिए जाते हैं। इसलिए सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक स्थिति एवं वास्तविकताओं को निर्धारित करने के लिए एक सुस्पष्ट उद्देश्यपरक तंत्र स्थापित 3.61

करना चाहिए ताकि केवल वास्तविक दावों को ही स्वीकार किया जाए (प्रत्यक्ष समान जाति में शामिल होने वालों सहित) ऐसे तंत्र को यथा संभव पारदर्शी होना चाहिए।

17. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने एवं उसमें से नाम हटाने संबंधी मामलों का नियमित आधार पर अध्ययन एवं परीक्षण करने के लिए संरकार को एक नियमित निकाय का गठन करना चाहिए जिसमें कई विशेषज्ञ/जनता के प्रतिनिधि शामिल हों। इस निकाय की सिफारिशों को इस मामले में निर्णय लेने के लिए एक आधार तैयार करना चाहिए। संवैधानिक उपबंधों के अनुसार सरकार को कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले आयोग से सलाह लेनी चाहिए। 3.64

अध्याय IV — अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति का शैक्षणिक विकास

1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग की तीसरी रिपोर्ट (1994–95 एवं 1995–96) में इस बात पर पुनः बल दिया गया है कि राज्यों को मौजूदा शैक्षणिक आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाना होगा और राज्यों को यह सुनिशिचित करना होगा कि विद्यालयों में बच्चों एवं अध्यापकों दोनों के लिए नई विधियां एवं परिवर्तनकारी योजनाएं शुरू करके शिक्षा एवं अध्ययन के लिए विद्यालयों का वातावरण और अधिक प्रेरक हो। कार्य स्थलों, गांवों आदि में पर्याप्त सहायता प्रणाली (व्यवस्था) शुरू करनी होगी ताकि बच्चों को अपनी मां की सहायता करके उन्हें परिवार के लिए धन कमाने में सहायता करने का बहाना लेकर शिक्षा से दूर न किया जा सके। 4.17

2. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अपनी व्यवस्था ज्यादा कारगर बनाने और सभी सरकारी कर्मचारियों एवं गैर सरकारी कर्मचारियों को इस क्षति पर अंकुश लगाने के लिए समन्वित प्रयास करने चाहिए। सभी शैक्षणिक स्कीमों को इन समुदायों की मूलभावानुसार बनाया जाना चाहिए ताकि वे अधिक से अधिक संख्या में उसमें भाग ले सकें। गरीब मां–बाप को विशेष प्रोत्साहन दिया जाना, बच्चों को विद्यालय भेजने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। 4.22

3. राज्यों को अनुसूचित जाति के बच्चों के बीच में ही विद्यालय छोड़ने की प्रवृति को रोकने के लिए गंभीरता से प्रयास करने चाहिए। 4.23

4. वर्ष 1995–96 के दौरान प्राथमिक स्तर पर दाखिला लेने वालों का अनुपात 113.03% था किन्तु यह मिडिल स्तर पर 50.4% तक कम हो गया। इस तरह मिडिल स्तर पर आई कमी बहुत अधिक है। इसे तुरंत रोकने की जरूरत है। 4.31

5. यह सुझाव दिया गया है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करें कि विद्यालय भवन, शिक्षण सामग्री जैसी शैक्षणिक जरूरतों को प्रत्येक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति बस्तियों विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में उपलब्ध कराया जाए। 4.39

6. आयोग का मानना है कि छात्रवृत्ति के लाभार्थियों को छात्रवृत्ति का पैसा समय पर बॉटने के लिए प्रयास किए जाएं और इस स्कीम को कार्यान्वित करने में आने वाली विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। 4.46

7. आयोग सिफारिश करता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों को विशेष और अति–विशिष्टि पाठ्यक्रमों में आरक्षण के साथ–साथ फीस में भी रियायत दी जानी चाहिए। ताकि वे आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में काम करने की सुविधा हासिल कर सकें। 4.17

8. आयोग ने पाया कि मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मैट्रिक–पूर्व 250 रू. की छात्रवृति दी जाती है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मैट्रिक पश्चात 150 रू. की छात्रवृत्ति दी जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति की राशि में कमी करना उन छात्रों के लिए एक दण्ड है जो परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। यह भी सुझाव दिया जाता है कि राज्य सरकार को यह राशि बढ़ानी चाहिए। 4.47

9. आयोग सिफारिश करता है कि जो मां–बाप मलिन कार्यों में लगे हैं उनके बच्चों को मैट्रिक–पूर्व एवं मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति देने के लिए अपनी गैरयोजनागत राशि संबंधी आवश्यकताओं को वित्त आयोग अर्वाड के अनुसार करना चाहिए। यदि राज्य गैर योजनागत आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है तो केन्द्र सरकार अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक विकास करने में उनके हितों की रक्षा करने के लिए इन योजनाओं के तहत धन जारी करें। 4.48

10. आयोग ने यह पाया है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बालिका छात्रावासों को बनाने संबंधी प्रस्ताव समय पर कल्याण मंत्रालय को नहीं भेजे जाते हैं। इस देरी के कारण कल्याण मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपयुक्त केन्द्रीय सहायता देने में असमर्थ है। इसलिए समय पर उपयुक्त सहायता प्राप्त करने के लिए कल्याण मंत्रालय को समय पर प्रस्ताव भेजने संबंधी प्रयास किये जाने चाहिए। राज्य संघ क्षेत्रों को इन छात्रावास भवनों के उचित रखरखाव के लिए पर्याप्त उपाय करने चाहिए। 4.52

11. राज्य सरकारों विश्वविद्यालयों को इस स्कीम को अपनाने के लिए आगे आना चाहिए जिससे विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों की संख्या स्वतः ही बढ़ेगी। 4.17

12. यह देखा गया है कि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या और पाठ्य चर्या संबंधी विवरणों को केन्द्रों में नहीं रखा जाता है। यह भी देखा गया है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम केवल तीन महीने के लिए ही आयोजित किए जाते हैं जो कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के जिन छात्रों को विस्तृत कोचिंग की जरूरत होती है उनके लिए पर्याप्त नहीं है। चूकिं अधिकतर लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों के होते हैं इसलिए छात्रावास सुविधा न होने पर उन्हें प्रशिक्षण जारी रखने में कठिनाई होती है। इन केन्द्रों में छात्रों को पढाने के लिए वरिष्ठ प्राध्यापकों को नहीं बुलाया जाता है। सुझाव दिया जाता है कि राज्य सरकारों को छात्रों के परिणाम और अंकों का 4.62

नियमित अंतरालों पर व्यापक विश्लेषण करना चाहिए और इस स्थिति से निपटने के प्रयास करने चाहिए।

13. आयोग सिफारिश करता है कि कम साक्षरता वाले क्षेत्रों विशेषतोर पर जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा परिसर खोलने संबंधी केन्द्र सरकार की स्कीम के तहत विद्यालय खोलते समय यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष कदम उठाए जाने चाहिए कि कुछ विद्यालय उन स्थानों पर खोले जाएं जहां आदिम जनजातियों के समूह रहते हैं और उन विद्यालयों में अच्छी शिक्षा दी जाए ताकि इन विद्यालयों में अपने बच्चे भेजने के लिए माता–पिता प्रेरित हों। 4.74

14. कल्याण मंत्रालय को राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षत्रों के प्रशासन से विचार–विमर्श करके अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति छात्रों मे मैरिट को अपग्रेड करने संबंधी स्कीम को कारगर तरीके से कार्यान्वित करने व व्यावसायिक पाठयक्रमों में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों व छात्राओं के शैक्षणिक विकास के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए जिससे मेडिकल एवं इंजीनियरी आदि क्षेत्रों में बेहतर रोजगार के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में यह लक्षित ग्रुप सफल हो सके। आयोग ने पाया है कि मंत्रालय इस स्कीम को अनमने ढंग से लागू कर रहा है अतः यह सिफारिश की जाती है कि इस स्कीम को सफल बनाने के लिए सभी प्रयास किए जाएं। 4.76

15. आयोग सिफारिश करता है कि राज्य सरकारों को व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना को अपनाना चाहिए ताकि प्रशिक्षित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी लाभप्रद रोजगार प्राप्त कर सकें। 4.79

16. जिन राज्य सरकारों और संघ राज्य–क्षेत्र प्रशासनों में अनुसूचित जाति के छात्रों का 5 प्रतिशत से कम नामांकन होता है उन्हें इसके लिए उचित उपाय करने चाहिए ताकि अनुसूचित जाति के बच्चे आसानी से उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। 4.84

17. जिन राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में अनुसूचित जनजाति के छात्रों का उच्च शिक्षा में 5 प्रतिशत से कम नामांकन रहता है और विशेष कर ऐसे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन जहां जनजाति जनसंख्या बहुल्य हो, वहां अनुसूचित जनजाति छात्रों को विशेष कोचिंग सुविधा प्रदान करनी चाहिए। जनजातीय क्षेत्रों में मिडिल स्तर पर बेहतर छात्रावास एवं विद्यालय सुविधा होने से नामांकन भी अधिक संख्या में होगा। 4.86

18. सुझाव दिया जाता है कि राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को प्राथमिक से माध्यमिक स्तर की शिक्षा पर अधिक जोर देना चाहिए ताकि मेघावी छात्रों को चुना 4.89

गैर योजनागत धन से अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर सकती तो केन्द्र सरकार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के शैक्षण्कि विकास के लिए उनके हितों की रक्षा हेतु इन स्कीमों के तहत लगातार निधि देती रहे।

5. जिन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या अधिक हो किन्तु उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 5 प्रतिशत से भी कम छात्रों का नामांकन होता है तो अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के छात्रों को विशेष कोचिंग सुविधा देनी चाहिए। जनजातीय क्षेत्रों में अच्छे छात्रावास और विद्यालय व्यवस्था होने पर नामांकन भी अधिक होगा। आयोग सिफारिश करता है कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रदान की गई उच्च शैक्षणिक सुविधाओं के कार्यान्वयन और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली पर राष्ट्रीय स्तर पर सर्वेक्षण किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विश्वविद्यालय आरक्षण दिशानिर्देशों का पालन कर रहे हैं।

शैक्षणिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण

6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए और अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 10+2 कक्षा के बाद से शिक्षा के साथ–साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल विकास पर अधिकाधिक जोर दिया जाना चाहिए। मौजूदा रोजगार के अवसर एवं भविष्य की संभावित रोजगार जरूरतों का पता लगाया जाना चाहिए एवं अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के छात्रों को ऐसे व्यवसायों में कुशल बनाया जाए जिनमें रोजगार के अधिक अवसर हों। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति छात्रों को विशिष्ट एवं अतिविशिष्ट पाठयक्रमों में आरक्षण के साथ–साथ फीस में भी रियायत दी जानी चाहिए ताकि वे आधुनिक तकनीकी क्षेत्र में सेवा करने की सुविधा हासिल कर सकें।

बालिका शिक्षा एव छात्रावास

7. विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा छोटे बच्चों एवं पढ़ने वाले बच्चों को शाम तक देख रेख करने की सुविधा देकर बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जा सकता है

8. यह पाया गया है कि कई राज्यों में बालिकाओं के लिए बहुत कम छात्रावास हैं। जहां पर छात्रावास थे उनमें सुविधाएं काफी कम थीं इसलिए राज्यसरकार एवं संघ राज्य प्रशासनों द्वारा समय पर उपर्युक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए कल्याण मंत्रालय को प्रस्ताव पेश करने के प्रयास करने चाहिए ताकि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन छात्रावास भवनों के उपयुक्त रख रखाव के लिए पर्याप्त उपाय कर सकें एवं शिक्षा संबंधी पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

अध्याय V ––अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का आर्थिक विकास

1. श्रम मंत्रालय को सभी वर्गों एवं विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संबंध में रोजगार के अवसरों पर आर्थिक सुधारों के प्रभाव का व्यापक सर्वेक्षण करना चाहिए। 5.7

2. जनजातीय उप योजना को क्रियान्वित करने वाले सभी राज्यों को आठवीं पंच वर्षीय योजना बनाते समय स्थापित कार्य दल की सिफारिशों के अनुसार राज्य की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत से 3 प्रतिशत अधिक धन जनजातीय उपयोजना को आबंटित किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों को जनजातीय उपयोजना कार्यान्वयन की प्रगति को बारीकी से मानीटर करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आबंटित धन का पूरा–पूरा उपयोग हुआ है और जनजातीय उपयोजना से दूसरे क्षेत्रों को कोई भी अंतरण नहीं किया गया है। 5.24

3. जनजातीय क्षेत्रों में आधारभूत विकास को, विशेषकर परिवहन संचार, बिजली और व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्रों को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए सोचविचार कर कदम उठाए जाने की आवश्यकता है कि लाभ में हिस्सेदारी और रोजगार सृजन जैसे उदारीकरण के लाभ जनजातीय क्षेत्रों तक पहुंचें।

4. जनजातीय क्षेत्रों में बड़ी परियोजनाओं को चालू करते समय प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए पैकेज तयार किया जाना चाहिए। इस संबंध में यह सिफारिश की जाती है कि जनजातीय लोगों को इन बड़ी विकास परियोजनाओं में भागीदार बनाया जाना चाहिए। 5.35

5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को आधिक उदार शर्तों एवं निबंधनों पर संस्थागत वित्त की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए और भारतीय रिर्जव बैंक एंव अन्य वित्तीय संस्थाओं को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को दिए गए ऋणों का रिकार्ड रखना चाहिए एवं उसे नियमित आधार पर प्रकाशित कराना चाहिए। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जाति को दिए जाने वाले ऋण के लिए धन की उपलब्धता बैंक के प्राथमिक क्षेत्र के अग्रिमों में से बढ़ायी जानी चाहिए। 5.38

6. कृषि एवं सहकारिता विभाग को लैम्पस (एल.ए.एम.पी.एस.) को गतिशील, मजबूत एवं बहुत आधार प्रदान करने के साथ ही प्रक्रिया को आसान बनाकर जनजातियों को "लैम्पस" की सुविधा आसानी से मिले यह सुनिश्चित करना चाहिए। .44

7. जिन राज्यों द्वारा एम एफ पी संग्रह के विशेष अधिकार अभी तक जनजातियों को नहीं दिए गए है वहां वे अधिकार उन्हें दिए जाएं और ट्राइफैड (टी.आर.आई.एफ.ई.डी) द्वारा जनजातियों के उत्पादों की उचित कीमत दिलानी चाहिए। 5.44

अध्याय VI – भूमि

1. कृषि जनगणना पांच वर्ष में एक बार की जाती है और कृषि जनगणना के आधार पर प्राकाशित रिपोर्टो में देश के भूमि संबंधी प्रामाणिक आंकडे होते हैं। पिछली कृषि जनगणना वर्ष 1990–91 में की गई थी। इस जनगणना के निष्कर्ष अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में विशेष संघटक योजना एवं पांचवी पंचवर्षीय योजना में जनजातीय उप–योजना के प्रस्तावों को स्वीकार किए जाने के बाद राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों को लागू किया गया है। इन कार्यक्रमों से अनुसूचित जातियों एव अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा जिसमें उनकी भूमि की स्थिति में बदलाव भी शामिल है। इसलिए यह वांछनीय हैकि अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जनजातिके विशेष संदर्भ में भूमि से सम्बन्धित कार्यक्रम, स्कीमें और कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए वांछनीय भूमि संबंधी अद्यतन आंकड़े उपलब्ध हों। कृषि मंत्रालय को इस संबंध में मशीनरी को मजबूत करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने चाहिए। 6.16

2. अधिकतम भूमि सीमा कानून को लागू करने के कार्य को राज्यों द्वारा महत्व नहीं दिया गया हैं ये कानून मूलतः 30–40 वर्ष पहले बनाए गए थे और कुछ मामलों में इन कानूनों का 20–25 वर्ष पहले संशोंधन किया गया था। इन कानूनों को लागू करने की अत्यधिक आवश्यकता है क्योंकि जनसंख्या की तुलना में भूमि को गुणवत्ता एवं जोतों के आकार अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग हैं। राज्यों द्वारा अलग से अधिकतम भूमि सीमा कानून पारित किए गए हैं किन्तु इन कानूनों को लागू करने के लिए समुचित प्रयास नहीं किए गए हैं। 6.27

3. बहुत बड़ी संख्या में क्षेत्रों को अधिशेष किया गया है जिन्हें अभी राज्यों द्वारा कब्जे में लिया जाना है। इन क्षेत्रों पर विभिन्न अदालतों में मुकदमें लम्बित पड़े है। राज्य सरकार को कानून में उपयुक्त फेरबदल करके अदालतों में मुकदमें बाजी में लम्बित पड़ी भूमि का मोचन कराना चाहिए। इसी तरह हकदारी से मुक्त और वितरण की जाने वाली भूमि को पात्र अ.जा. एवं अ.ज.जा. तथा गरीब परिवारों में वितरित किया जाना चाहिए ताकि वे अपने जीविकापार्जन के लिए इस जमीन का अतिशीघ्र उपयोग कर सकें। अधिशेषन भूमि के वितरण में हो रही देरी से न केवल जीविको पार्जन के साधनों की प्रतीक्षा कर रहे गरीब व्यक्तियों की कठिनाइयां बढ़ेगी बल्कि इससे वितरित की जाने वाली भूमि के उपजाऊपन में गिरावट आएगी। 6.29

4. वितरण के लिए उपलब्ध परती भूमि एवं भूदान भूमि और प्रतिवर्ष किए गए वितरण तथा लाभार्थियों की संख्या संबंधी अद्यतन आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इस संबंध में

नोडल ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय ने भी उल्लेख किया है कि इस विषय पर राज्य सरकारों द्वारा सूचना नहीं दी जा रही है। यह भी ध्यान में आया है कि उपलब्ध आकड़ों से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों के संबंध में और परती भूमि एवं भूदान भूमि में से उनको दी गई हस्तातंरित भूमि के संबंध में सूचना नहीं मिलती है। यधपि ऐसे आबंटनों में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों को प्राथमिकता दी गई है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों के संबंध में भी राज्य सरकारों द्वारा सूचना दी जानी चाहिए ताकि आयोग और अन्य एजेंसियां इस संबंध में हुई प्रगति को मानीटर कर सकें एवं उसका मूल्यांकन कर सकें।

5. सरकार किसी भी स्कीम के अर्न्तगत किए जाने वाले भू–आबंटन महिलाओं या आबंटियों के और उसके पति/पत्नी के संयुक्त नाम पर किया जाना चाहिए। जब भूमि पहले ही आबंटित की जा चुकी हो किन्तु पट्टा यास मालिका हक न दिया गया हो तो उस स्थिति में पट्टा मालिकाना हक पति और पत्नी दोनों के नाम पर संयुक्त रूप से जारी किया जाना चाहिए सिवाय उस स्थिति के जब दंपत्ति में से केवल एक ही व्यक्ति जीवित हो। 6.26

6. काश्तकारों को मालिकाना अधिकार देने और बेदखली को रोकने के काश्तकार/ बंटाईदार के अधिकारों की सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम को राज्यों में पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा है। जिन काश्तकारों को किराए की भूमि के मालिकाना हक दिए गए हैं और इच्छा पर बेदखली से बचने के लिए जिन्हें केवल काश्तगार के रूप में रिकार्ड किया गया है राज्य सरकारें भी उनके विशिष्ट सही और अलग–अलग आंकड़े नहीं दे पा रहीं हैं। दी गई सूचना में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के काश्तकारों के संबंध में अलग से आंकड़े नहीं दिये जाते हैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी ही इसका लक्ष्य होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा मानीटर सम्बन्धी अपनी प्रणाली में संशोधन किए जाएं ताकि राज्य सरकार और अन्य एजेंसियों द्वारा एकत्र की गई सूचना में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों के संबंध में विशेष सूचना उपलब्ध हो सके। 6.27

7. गरीब किसानों (भू–धारकों) के हित में जिसमें अनेक लोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं, ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय प्रत्येक जिले में अधतन भूमि रिकार्ड रखने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भूमि रिकार्डो के कम्प्यूटरीकरण की स्कीम का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करें।

8. यद्यपि केन्द्र प्रतिवर्ष राज्यों को अनुदान दे रहा है किन्तु राज्य भूमि रिकाडों के राजस्व प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए स्कीम को गंभीरता से लागू नहीं कर रहे हैं। चूंकि भूमि संबंधी रिकार्डो का उचित रख रखाव उन अनुसूचित जातियों एव अनुसूचित जनजाति के हित में महत्त्वपूर्ण है जो कि कम पढीलिखी और सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर है इसलिए ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय राज्यों/संघ क्षेत्रों पर यह दबाव डाले कि वह इन दोनों स्कीमों के तहत उपलब्ध धन का अधिकतम उपयोग करें। 6.30

9. आयोग पुरजोर सिफारिश करता है कि ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन में की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन को मानीटर करे और नियमित रूप से राज्य सरकारों की स्थिति की समीक्षा करें। 6.32

10. आयोग ने केरल अनुसूचित जनजाति भूमि हस्तांरण प्रतिबंध एवं हस्तांरित भूमि का प्रत्यावर्तन अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन के संबंध में कल्याण मंत्रालय को निम्नलिखित टिप्पणियां भेजी हैं। 6.38

(क) यह अधिनियम जिस रूप में आज है वह 1.1.82 से पूर्व प्रभाव से दिनांक 20. 1.86 को अधिसूचित किया गया था यह तारीख भी बहुत बाद की है क्योंकि मूल अधिनियम 1975 में पारित किया गया और इस पर दिनांक 11.11.75 को राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई थी।

(ख) धारा 5–क को जोड़कर संशोधन करने से अनुसूचित जनजाति से गैर अनुसूचित जनजाति के लोगों को हस्तांतरित ऐसी सभी भूमि वैध/नियमित हो जाती है जो अनुसूचित जनजाति को प्रत्यावर्तित नहीं की गई। इसके लागू होने से मूल अधिनियम का वह उद्देश्य पूरा नहीं होगा। जो अनुसूचित जनजाति से गैर अनुसूचित जनजाति को भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाने और उन्हें किसी भी भूमि हस्तांतरण को वापस दिलाने के लिए था।

गृह मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय और केरल सरकार को आयोग की सलाह के अनुसार उपयुक्त उपाय करने चाहिए और इसकी सूचना उचित समय में आयोग को देनी चाहिए।

11. साहूकारों पर निर्भरता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमि हस्तांतरण का मुख्य कारण है इसलिए भूमि आबंटन की प्रत्येक स्कीम के साथ ही विशेष स्कीमें बनाई जानी अपेक्षित हैं ताकि आंबटी उस आबंटित भूमि का उचित और आर्थिक उपयोग करने के लिए साहूकारों पर निर्भर न रहें। यह भी सिफारिश की जाती है कि निम्नलिखित 6.41

के लिए एक समान केन्द्रीय कानून/निर्देश हों। (क) गैर अनु.जा. / अनु.ज.जा. के लोगों अनु.जा./अनु.ज.जा. की लड़कियों से विवाह करने पर भूमि हस्तांतरण सहित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से गैर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लोगों को भूमि हस्तांतरण पर पूरी तरह प्रतिबंध (ख) एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति से दूसरी अनुसूचित जाति के व्यक्ति या एक अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से दूसरी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को किए गए भूमि हस्तांतरण का निपटान (ग) भूमि के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के आबंटियों को अग्र क्रयाधिकार (पहले खरीदने का अधिकार) (घ) वित्तीय संस्थाओं तथा सरकारी एजेन्सियों द्वारा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लोगों से अपने ऋणों की वसूली के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की भूमि की बिक्री पर प्रतिशेध आयोग यह भी सिफारिश करता है कि जनजातीय लोगों की भूमि को प्राप्त करने वाले लोगों तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लोगों को वापस दिलाई गई भूमि का पुनः हस्तांतरण करने वाले लोगों के लिए कड़े दण्ड का प्रावधान किया जाए।

12. अतः आयोग सिफारिश करता है कि कल्याण मंत्रालय, उधोग, सिंचाई, ऊर्जा आदि मंत्रालयों के परामर्श से देश के किसी भी भाग में लगाई जानेवाली परियोजना को बनाने एवं उसे अंतिम रूप देने की प्रक्रिया को नियमित करने के लिए केंन्द्रीय निर्देश तैयार करे ताकि संबंधित प्राधिकरण द्वारा विस्थापन एवं पुनर्वास से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान रखा जाए। आयोग अपनी पहली सिफारिश को पुनः दोहराता है कि विभिन्न परियोजनाओं के कारण विस्थापित या विस्थापित होने वाली जनजातियों (और अन्य लोगों) को परियोजना में भागीदार बनाया जाए। 6.43

इस पूरे मामले की पुनः जांच करनी चाहिए और यदि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों को पदोन्नति द्वारा नहीं भरा जा सकता हो, तो अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए सीधी भर्ती का प्रावधान किया जाना चाहिए। इस प्रकार पुनः जांच के लिए कई मामलों में नियमों में संशोधन करने की जरूरत होगी।

अध्याय VIII – समुदाय सम्बन्धी जाली प्रमाण पत्र

1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संबंधी जाली प्रमाणपत्रों के मामलों के विश्लेषण करने पर, जिसमें न्यायालयों ने स्थगन आदेश दिया है से पता चलता है कि नियोक्ता प्राधिकारी समुदाय प्रमाण पत्रों के मामलों पर सख्ती से काम नहीं ले रहे हैं। 8.21

2. भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों में उपबंधित है कि नियोक्ता प्राधिकारियों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन प्रमाण पत्र धारक के स्थायी निवास स्थान के सक्षम प्राधिकरण से करवाना चाहिए और यदि सत्यापन से पता चलता है कि अभ्यार्थी का दावा गलत है तो उसकी सेवाएं समाप्त की जानी चाहिए। चूंकि प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा इन अनुदेशों का पूरी सावधानी से पालन नहीं किया जा रहा था इसलिए भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने समुदाय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों को विनिर्दिष्ट करते हुए विस्तृत अनुदेश जारी किए हैं औरअनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का दावा करने वाले अभ्यार्थियों के नियुक्ति प्रस्ताव में निम्नलिखित खण्ड को शामिल करें। 8.21

3. यह नियुक्त अस्थायी है और जाति / जनजाति सम्बधी प्रमाण पत्र के उचित माध्यम से सत्यापन के अध्याधीन है और यदि सत्यापन करने पर यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, जो भी मामला हो, से संबंधित होने का दावा झूठा है तो बिना कोई कारण बताए, झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत की जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तत्काल सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। 8.21

4. तथापि, यह देखा गया है कि नियोक्ता प्राधिकारी सामान्यतः नियुक्ति प्रस्ताव में उक्त खंड को शामिल नहीं कर रहे हैं। इसलिए, आयोग सिफारिश करता है कि नियुक्ति प्रस्ताव में उक्त खंड को शामिल न किया जाना गंभीर चूक मानी जानी चाहिए और प्रस्ताव जारी करने वाले अधिकारी के विरूद्व आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। 8.21

5. सत्यापन एवं निरस्तीकरण(रद्दीकरण) दो अलग–अलग संकल्पनाएं हैं। सत्यापन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्यक्षः या अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से जांच की जानी होती है। जबकि निरस्तीकरण प्रक्रिया विधिवत होती है। निरस्तीकरण प्रक्रिया के तहत प्राधिकारी जांच करता है, मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को रिकार्ड करता है और निकाले गए निष्कर्ष के कारण देता है। प्राधिकारी जारी करने वाले

प्राधिकारी को यह प्रमाणित करने के निदेश देता है कि उक्त प्रमाण पत्र गलत ढंग से जारी नहीं किया गया है क्योंकि इसका पूरा उत्तरदायित्व जारी करने वाले प्राधिकारी का होता है न कि प्रमाण–पत्र धारक का। इसलिए प्रमाण पत्र धारक को प्रमाण पत्र की वैधता को प्रभावित करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। यदि सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि यह प्रमाण पत्र अवैध है तो वह उस प्रमाण पत्र को रद् करने का आदेश दे सकता है और झूठे एवं जाली दस्तावेजों के आधार पर प्रमाण पत्र हासिल करने के कारण धारक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, निरस्तीकरण आदेश प्राप्त होने पर नियोक्ता प्राधिकारी झूठे/ जाली दस्तावेजों के आधार पर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद प्राप्त कर चुके व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है और उसकी सेवाएं समाप्त कर सकता है।

6. नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्रियाविधि एवं दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को आवश्यक अनुदेश जारी करने चाहिए ताकि झूठे जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सेवा में आने वाले व्यक्ति तकनीकी आधार पर अनुशासनिक कार्यवाही के खिलाफ स्थगन आदेश प्राप्त न कर सकें। अनुदेशों में एक खंड यह भी जोड़ा जाना चाहिए कि दिशानिर्देशों का पालन न करने के कारण होने वाली तकनीकी गलतियों को गंभीरता से लिया जाएगा और सम्बन्धित प्राधिकारी के विरूद्व सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह जाली प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भी जाली प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जवाब देह ठहराया जाना चाहिए। इस संबंध में आयोग द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गो के व्यक्तियों को जाति/ समुदाय प्रमाण पत्र जारी करने को विनियमित करने के लिए व्यापक विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि संसद द्वारा इसे अधिनियमित किया जाता है तो समुदाय सम्बन्धी प्रमाणपत्र की इस समस्या पर नियंत्रण रखने में यह एक उपलब्धि साबित होगी। इसलिए आयोग सिफारिश करता है कि आयोग के सुझावों एवं सिफारिशों को शामिल करते हुए इस बिल को यथाशीघ्र संसद में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

अध्याय IX – अपराध एवं अत्याचार

1.	अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा सभी प्रयास किये जाने चाहिए और उसके लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं नियमों के तहत उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।	9.30
2.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। इन नियमों को कार्यान्वित करने से अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों को रोकने में मदद मिलेगी क्योंकि इससे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पर हो रहे अत्याचारों से संबंधित विभिन्न कारणों एवं उनकी रोकथाम सम्बन्धी उपायों पर विचार –विमर्श करने के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर उनके पास मंच (फोरम) उपलब्ध होगा।	9.30
3.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत आने वाले मामलों पर विचारण के लिए प्रत्येक जिले में विशेष अदालतें होनी चाहिए क्योंकि इस समय विशेष अदालत के रूप में नामित की गई नियमित अदालतों में पहले से ही अन्य मामलों की भरमार है। अत्याचार के मामलों पर विशेष अदालतों द्वारा ही विचार किया जाना चाहिए और उन्हें विचारण के लिए निचली अदालतों को नहीं भेजा जाना चाहिए।	9.30
4.	अत्याचार के प्रत्येक मामले में प्रथम सूचना रपट शीघ्र दर्ज की जानी चाहिए और मामले की जांच–पड़ताल के कार्य शीघ्र पूरे किए जाने चाहिए।	9.38
5.	अभियुक्तों को शीघ्रातिशीघ्र गिरफतार किया जाना चाहिए और उस मामले के सम्बन्ध में चालान करके विशेष अदालत में भेजा जाना चाहिए। अधिनियम के अन्तर्गत उपलब्ध कराए जाने वाले विशेष लोक अभियोजक (वकील) को सभी आवश्यक कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मामले को सिद्व करने में सबूत प्रभावी हैं।	9.38
6.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली 1995 के नियम 12 (4) के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पीड़ित व्यक्तियों को दी जाने वाली सहायता तत्काल दी जानी चाहिए।	9.38
7.	हत्या एवं बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं। इससे पीड़ित व्यक्ति के पूरे परिवार को गहरी और प्रायः अपूर्णीय क्षति होती है। ऐसी घटनाओं एवं मामलों की पुष्टि करने के लिए समय पर कार्रवाई एवं जांच–पड़ताल किए जाने की आवश्यकता है।	9.38

8.	यथा उपबंधित अधिनियमों एवं नियमों के अनुसरण में कार्यप्रणाली का केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अनुवीक्षण एवं समीक्षा की जानी चाहिए और संसद में प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित आवश्यक विवरणियां एवं रिपोर्टें भेजी जानी चाहिए। यह देखा गया है कि अभी तक कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के संबंध में केवल एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।	9.38
9.	इन अधिनियमों एवं नियमों के उपबंधों का पर्याप्त प्रचार एवं प्रसार किए जाने की आवश्यकता है ताकि सभी समुदायों (अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति सहित) को इसकी सही जानकारी मिले और दूसरे उन्हें इस संबंध में गलत सूचना मिलने से बचाया जा सके।	9.38
10.	राज्य/संघ शासित राज्य प्रशासनों को सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति पर हो रहे अत्याचारों एवं अपराधों की प्रमुख घटनाओं से संबंधित सूचना को घटना के घटित होने के 24 घंटे के भीतर निक–नैट के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग को भेजा जाना चाहिए।	9.38
11.	जैसा कि इस अध्याय में देखा गया है कि आयोग को अपेक्षित सूचना कई राज्य/ सरकारों संघ शासित प्रशासनों से प्राप्त नहीं हुई है। स्थिति की व्यापक जांच–पड़ताल को सरल बनाने के लिए इन सूचनाओं का समय पर पहुंचना काफी महत्वपूर्ण है।	9.38
12.	इस अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और नियमावली एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एवं केन्द्र सरकार नियमावली द्वारा विभिन्न फोरमों में चर्चा के अनुसार व कल्याण मंत्रालय को आयोग द्वारा पहले से दिए गए सुझावों के अनुरूप आवश्यक संशोधन करने पर विचार करना चाहिए।	9.38

अध्याय X – साविधानिक एवं वैधानिक संशोधन

आयोग की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए और इस रिपोर्ट को निर्धारित समय सीमा के भीतर संसद एवं राज्य विधान सभाओं में रखे जाने के लिए यह आयोग सिफारिश करता है कि अनुबंध 10.I के प्रस्ताव के अनुसार अनुच्छेद 338 में संशोधन किया जाए। 10.2 10.3

2. आयोग ने अनुबंध 10.II के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली, 1995 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इन संशोधनों के मुख्य उद्देश्य अत्याचार पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने तथा उन पर विचार करने, ऐसे अपराधों को शामिल करने, जिन्हें अभी तक शामिल नहीं किया गया हैं तथा कड़े दण्ड का प्रावधान करने से हैं, जिससे जान–बूझ कर एवं जातिगत आधार पर किए गए अपराधों को रोका जा सके। 10.6 10.7

3. आयोग सिफारिश करता है कि भारत सरकार द्वारा संविधान एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली 1995, एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 में प्रस्तावित संशोधनों पर शीघ्रता से विचार किया जाना चाहिए। 10.7